फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

विकास अग्रवाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर:– 24 सन् 2019
RCMS No. 2019/00051

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.07.19	*यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री विजय अग्रवाल निवासी वरखेड़ा वालों की हवेली, गली विधिचंद, धूलकोट जिला धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी एंव अति.जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेसपोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 30.07.2019 को पेश हो।* (हस्ताक्षर) नेहा गिरि जिला कलक्टर धौलपुर	487-488 17.7.19
30.7.2019	अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर से टिप्पणी प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि ~~अपील~~ अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचनाओं का संबंध खनि अभियन्ता धौलपुर के कार्यालय से होने से आरटीआई 2005 की धारा 6(3) के तहत अपील स्थानान्तरित कर अपीलार्थी को सूचित जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 1 व 2 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.40/10/(4) राजस्व/2017/34 दिनांक 11 मई 2018 व पत्र क्रमांक प.40/10/(4) राजस्व/2017/पार्ट II/8 दिनांक 27 जून 2019 के द्वारा जिले में बजरी PTO	

के अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण उपयोग स्थल पर रेड करने नियमानुसार एफ.आर.आर करने शास्ति आरोपित करने हेतु संयुक्त दल गठित किया गया उसकी सूचना पत्र क्रमांक 4519 दिनांक 26.7.2019 से अपीलार्थी को दी जा चुकी है।

अपीलार्थी को सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर से प्राप्त टिप्पणी की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर